न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 25/2019

अपीलांट –

लिछमणाराम पुत्र समेलाराम फौत के कायम मुकाम

1. जोगाराम पुत्र लिछमणाराम जाति जाट निवासी उचावड़ा (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. हरूराम पुत्र जगराम
2. खेताराम पुत्र जगराम
3. लिछमणाराम पुत्र समेलाराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 रामचन्द्र पुत्र लिछमणाराम
   3/2 चनणीदेवी पत्नी लिछमणाराम
4. तेजाराम पुत्र कोहलाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 पपूराम पुत्र तेजाराम
   4/2 श्रीमती तारोंदेवी पत्नी तेजाराम
5. मगाराम पुत्र समेलाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 देवाराम पुत्र मगाराम
   5/2 पुष्पेन्द्र पुत्र मगाराम
   5/3 श्रीमती पदमीदेवी पत्नी मगाराम
   जातियान जाट निवासीयान उचावड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर
6. बन्नाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 408 दिनांक 13.01.2011 जो तहसीलदार शिव द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री बालाराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 15.11.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 408 दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा उचावड़ा, एड की बस्ती व रामदेरिया के खेत खसरा नंबर 34, 170, 171, 454, 833 एवं 592 रकबा क्रमशः 13–05, 0–06, 42–09, 49–17, 18–09 एवं 41–18 बीघा भूमि के खातेदारान तेजाराम व अन्य ने दिनांक 05.01.2011 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी काश्मीर द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा रामदेरिया, उचावड़ा, एड़ की बस्ती में जमाबंदी 2066–2069, 2065–68, 2064–67 के अनुसार खाता संख्या 67, 39, 26 में तेजाराम पुत्र कोशलाराम, लिछमणा मगा पि0 समेला हरू खेता पि0 जगराम बनाराम पुत्र आदाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार की रिकार्डेड खातेदारी है तथा उनके द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान विवरण सही हैं। अब इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने–अपने हिस्से पर उनके बनाये अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक हिस्से के अनुसार अपने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है तथा लगान को जो पुनः वितरण किया है वह प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में अपने आने वाली भूमि के रकबे व किस्म अनुसार सही है। व एक नंबर के भाग किये गये उसमें जो सीमाओं का वितरण बताया गया वह ठीक है। मौके पर ये उसी अनुसार हैं तथा नक्शे में भी सीमाएं वितरण गई है वह भी मौके की स्थिति अनुसार है। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 408 दिनांक 13.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:13 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलांट के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने अपीलाधीन पैतृक खातेदारी के मूल खेत

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

खसरा संख्या 34, 170, 171, 454, 833 एवं 592 की भूमि को मौके पर कब्जा–काश्त तथा पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा था जिस पर अपीलांट के पिता ने सहमति दी थी। इस क्रम में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव मय नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2011 में तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर पटवारी ने मनमर्जी से मौके अनुसार नक्शा तैयार नहीं किया। अपीलांट के पिता अनपढ़ होने से उसे विभाजन के गलत होने का कोई ज्ञान नहीं हो सका और विभाजन आदेश तहसीलदार से तस्दीक करा लिया। अपीलाधीन विभाजन आदेश के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की रहवासी ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 34, 170, 171 व 454 मौजा उचावड़ा की भूमि के मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाडे के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के पिता व उसके बाद अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन पारित होने का ज्ञान नहीं हो सका। वर्तमान में बरसात का मौसम होने से अरसा 20 दिन पूर्व रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के हिस्से में हस्तक्षेप करने लगे तथा अपीलांट को सुड़ करने से मना कर दिया, अपीलांट का घर रेस्पोडेंट्स के हिस्से में होने से घर भी हटाने की धमकियां देने लगे। इस पर अपीलांट ने हलका पटवारी से कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होने पर सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:13 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट [illegible] पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन [illegible] कि मौजा उचावड़ा, एड की बस्ती व रामदेरिया के खेत खसरा नंबर [illegible] 170, 171, 454, 833 एवं 592 रकबा क्रमशः 13–05, 0–06, 42–09, 49–[illegible] 18–09 एवं 41–18 बीघा भूमि के खातेदारान तेजाराम व अन्य ने दिनांक 05.01.2011 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी काश्मीर द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि खातेदारान द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान विवरण सही हैं। अब इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने–अपने हिस्से पर उनके बनाये अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट के पिता अनपढ़ व्यक्ति होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा विभाजन आवेदन तहसीलदार शिव से तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट की ढाणी, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर विवादित भूमि के मौका कब्जा की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार शिव से ली गई जिसमें परिशिष्ठ–ब अनुसार वर्तमान लट्ठा तरमीम अनुसार अपीलांट जोगाराम की रहवासी ढाणी खसरा नंबर 1041/171 में आई हुई है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट में उल्लेखित परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 408 दिनांक 13.01.2011 आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा उचावडा के खसरा नंबर 34, 170, 171 व 454 के मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति एवं वास्तविक कब्जा–काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:13 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर